:: महानिदेशालय कारागार राजस्थान जयपुर ::

क्रमांकःकारा/भवन/बजट मद/2059/2020-21/61756-80 दिनांकः 07/01/2021

खुली बोली आमंत्रण सूचना

मुख्यालय महानिदेशालय कारागार पर विभिन्न अनुरक्षण एवं मरम्मत कार्य (Repair & maintenance works) करवाये जाने हेतु खुली बोली आमंत्रण सूचना जारी की जाती है।

अतः जो भी पंजीकृत बोलीदाता उक्त विभिन्न मरम्मत एवं अनुरक्षण कार्य (संलग्न G. Schedule) हेतु अपनी दरें देने का इच्छुक है वह मरम्मत कार्यो की दरें निर्धारित वर्तमान प्रचलित BSR दरों के अनुसार दिनांक 18/1/21 तक (सीलबंद लिफाफे में) दोपहर 1.00 बजे तक प्रस्तुत करे, प्राप्त बोलियों को दिनांक 18/1/21 को दोपहर 2.00 बजे खोला जायेगा। बोली का अनुमानित मूल्य राशि रूपये 5.03/-लाख है। बोली के साथ बोली प्रतिभूति घोषणा नियमानुसार जमा करानी होगी। बोली प्रपत्र शुल्क 500/- रूपये है। जो नियमानुसार नकद राशि/डीडी/बैंकर चैक आदि जमा कराकर इस कार्यालय से प्राप्त किये जा सकते है। बोली शर्तो एवं कार्यस्थल का अवलोकन कार्यालय समय में किया जा सकता है एवं सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, राजस्थान सरकार की वैबसाइट "*www.dipr.rajasthan.gov.in*" एवं कारागार विभाग की बैबसाइट "*www.home.rajasthan.gov.in*" एवं "*www.sppp.rajasthan. gov .in*" पर भी उपलब्ध है। किसी भी बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने के संबंध में अंतिम निर्णय का अधिकार अद्योहस्ताक्षरकर्ता का होगा।

UBN No.

(आलोक कुमार वशिष्ठ)

महानिरीक्षक (पुलिस) कारागार
राजस्थान जयपुर

प्रतिलिपिः सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-

1. निजी सचिव, महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कारागार राजस्थान जयपुर।
2. उपापन समिति, अध्यक्ष/सदस्य..।
3. नोटिस बोर्ड मुख्यालय/रेंज कार्यालय/मंड़ल कार्यालय।
4. निदेशक, सूचना एवं जन संपर्क विभाग, राजस्थान जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि खुली प्रतियोगी दर अनुबंध बोली आमंत्रण सूचना का राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 43(6) के अनुसार एक क्षेत्रीय दैनिक समाचार पत्र में न्यूनतम स्पेस एवं अनुमोदित दरों पर न्यूनतम 07 दिवस की अवधि के लिए अविलम्ब प्रकाशन कराने का श्रम करावें।
5. प्रभारी अधिकारी भण्ड़ार एवं सदस्य सचिव, उपापन समिति को प्रेषित कर लेख है कि खुली प्रतियोगी दर अनुबंध बोली आमंत्रण सूचना का विभागीय बैवसाईट एवं एसपीपीपी पर अविलम्ब अपलोड करने की कार्यवाही सुनिश्चित करें।

महानिरीक्षक (पुलिस) कारागार
राजस्थान जयपुर

कार्यालय महानिदेशालय कारागार राजस्थान घाटगेट, जयपुर

क्रमांकः भवन/2059/2020-21/61756-80 दिनांकः 07-01-2021

खुली बोली आमंत्रण सूचना

मुख्यालय कारागार पर विभिन्न अनुरक्षण एवं मरम्मत कार्य करवाये जाने हेतु खुली बोली आमंत्रण सूचना जारी की जाती है।

अतः जो भी पंजीकृत बोलीदाता उक्त विभिन्न अनुरक्षण एवं मरम्मत कार्य हेतु अपनी दरें देने का इच्छुक है वह उक्त मरम्मत कार्यो की दरें दिनांक --18/1/21-- तक सीलबंद लिफाफे में दोपहर 1.00 बजे तक प्रस्तुत करे, प्राप्त बोलियों को दिनांक --18/1/21-- को दोपहर 2.00 बजे खोला जायेगा बोली का अनुमानित मूल्य राशि रूपये 5.03/-लाख है। बोली के साथ बोली प्रतिभूति घोषणा नियमानुसार जमा करानी होगी। बोली प्रपत्र शुल्क 500/- रूपये है। जो नियमानुसार नकद राशि/डीडी/बैंकर चैक आदि जमा कराकर इस कार्यालय से प्राप्त किये जा सकते है। बोली शर्तो एवं कार्यस्थल का अवलोकन कार्यालय समय में किया जा सकता है। सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, राजस्थान सरकार की वैबसाइट "*www.dipr.rajasthan.gov.in*" एवं कारागार विभाग की वैबसाइट "*www.home.rajasthan.gov.in*" एवं "*www.sppp.rajasthan. gov .in*" पर भी उपलब्ध है। किसी भी बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने के संबंध में अंतिम निर्णय का अधिकार अद्योहस्ताक्षरकर्ता का होगा।

क्र. सं.	कार्य का नाम	अनुमानित मात्रा	कुल अनुमानित राशि रूपये (लाखों में)	बोली प्रतिभूति राशि	बोली प्रपत्र शुल्क	कार्य अवधि
1.	मुख्यालय पर विभिन्न अनुरक्षण एवं मरम्मत कार्य	संलग्न G. Schedule	5.03	As per rule	500/-	30 दिवस

:– बोली की मुख्य शर्ते :–

1. खुली प्रतियोगी बोली हेतु निर्धारित बोली प्रपत्र शुल्क एवं बोली प्रतिभूति राशि/ बोली प्रतिभूति घोषणा "महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कारागार राजस्थान, जयपुर" के नाम जारी बैंकर चैक/डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में अथवा निर्धारित प्रारूप1 में दी जायेगी।

2. खुली बोली हेतु बोली प्रपत्र दिनांक 18/1/21 दोपहर 1.00 पीएम तक इस कार्यालय में व्यक्तिशः उपस्थित होकर निर्धारित राशि का शुल्क जमा कराये जाकर प्राप्त किये जा सकते है। अथवा विभागीय वैबसाईट *www. home.rajasthan.gov.in* अथवा राजस्थान सरकार के राज्य लोक उपापन पोर्टल *www.sppp.rajasthan.gov.in* से डाउनलोड़ कर निर्धारित बोली प्रपत्र शुल्क राशि के साथ इस कार्यालय में दिनांक 18/1/21 को दोपहर 2.00 बजे तक वांछित समस्त दस्तावेज, बोली प्रतिभूति राशि के बैंकर चैक/डिमाण्ड ड्राफ्ट जमा कराना होगा।

3. बोली में भाग लेने वाले पंजीकृत बोलीदाता को किसी भी सरकारी विभाग में जिस कार्य की बोली प्रस्तुत की गई हैं उस प्रकार के कार्य का अनुभव प्रमाण पत्र/आदेश की प्रति, जिसके प्रमाणस्वरूप संबंधित विभाग से जारी संतोषजनक कार्य सम्पादन एवं भुगतान से संबंधित प्रमाण–पत्र संलग्न करना आवश्यक होगा। जिसके अभाव में बोली पर विचार नही किया जायेगा।

4. बोलीदाता फर्म का गत तीन वर्षो में से किसी एक वर्ष का वार्षिक टर्न ओवर प्रस्तुत आईटम की अनुमानित राशि के दो गुणा होना आवश्यक है, जिसके प्रमाणस्वरूप सी.ए. द्वारा सत्यापित टर्न ओवर संलग्न करना आवश्यक होगा। जिसके अभाव में विचार नही किया जावेगा।

5. बोली के साथ बोलीदाता जीएसटी पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत करेंगे।

6. समस्त प्रमाण–पत्र हिन्दी अथवा अंग्रेजी में होने चाहिए। अन्य किसी भाषा में प्रमाण–पत्र है तो वह हिन्दी अथवा अंग्रेजी में अनुवादित हो तथा सत्यापित किया हुआ हो।

7. दरों की वैधता –प्राईस बिड खुलने की तिथि से 90 दिन तक मान्य होगी।

8. यदि कोई बोलीदाता विभिन्न मरम्मत कार्य करने मे असमर्थ रहता है और उसकी सम्पूर्ण बोली प्रतिभूति या सम्पूर्ण कार्य संपादन प्रतिभूति या यथा स्थिति, उसका कोई भी प्रतिस्थापन किसी उपापन संस्था द्वारा किसी भी उपापन प्रकिया या उपापन संविदा में समपह्रत कर लिया गया है तो बोली लगाने वाले को उपापन संस्था द्वारा हाथ मे ली जाने वाली किसी भी उपापन प्रकिया में भाग लेने से तीन वर्ष से अनधिक की कालावधि के लिए विवर्जित किया जा सकेगा।

9. बोली के साथ सभी वांछित दस्तावेज/प्रमाण पत्र बोली जमा कराने की अंतिम तिथि को वैध होने चाहिए।

10. मरम्मत कार्य के विभागीय स्पेसिफिकेशन के अनुसार पाये जाने पर निरीक्षण समिति की रिपोर्ट के आधार पर बिलों का बजट की उपलब्धता पर नियमानुसार राशि का भुगतान संबंधित फर्म को कर दिया जायेगा।

11. फर्म द्वारा मजबूत एवं पुष्ट आधार प्रस्तुत करने पर ही विभागीय क्रय समिति किसी प्रकरण विशेष में गुणावगुण के आधार पर यदि उचित समझती है या किसी प्रकियात्मक त्रुटि के कारण प्रतिस्पर्धा बाधित होती है तो वांछनीय दस्तावेज एवं वांछित स्पष्टीकरण प्राप्त करने का निर्णय ले सकती है।

12. विभागीय उपापन समिति के निर्णायनुसार महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कारागार राजस्थान, जयपुर किसी भी बोली अथवा उसके भाग को बिना कारण बताये अस्वीकार कर सकेगें।

13. सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम, राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 एवं PW & FR के प्रावधान यथा आवश्यकता/ स्थानानुसार लागू रहेगें।

14. राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के तहत प्रथम अपील अधिकारी महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कारागार, राज. जयपुर होंगे एवं द्वितीय अपील अधिकारी प्रमुख शासन सचिव, गृह विभाग, शासन सचिवालय, राज. जयपुर होंगे।

15. समस्त दरें PWD city circle Jaipur BSR-2019 (नवीनतम) के अनुसार ही मान्य होगी।

16. निर्धारित समय पश्चात प्राप्त निविदा अमान्य कर दी जावेगी।

17. सशर्त निविदा स्वीकार नहीं होगी।

18. कार्य करने हेतु कार्यस्थल उपलब्ध है।

19. आवश्यकता पड़ने पर माल का सैम्पल मांगे जाने पर प्रस्तुत करना होगा।

20. कार्य की G. Schedule संलग्न है (विवरण संलग्न है)

21. उक्त कार्य में 10 प्रतिशत की कमी/बढ़ोतरी की जा सकती है।

22. फर्म को तकनीकी निविदा एवं वित्तीय निविदा के पृथक–पृथक बन्द लिफाफे प्रस्तुत करने होगें, ताकि तकनीकी निविदा सफल पाये जाने पर ही वित्तीय निविदा खोली जायेगी।

23. यदि नजदीकी रिश्तेदार कार्य से सम्बन्धित/अधीनस्थ कार्यालय में पदस्थापित है तो कार्य हेतु निविदा में भाग लेने पर प्रतिबन्ध रहेगा।

24. कार्य हेतु अग्रिम भुगतान की शर्त स्वीकार नहीं होगी।

25. **<u>बातचीत (Negotiation) :–</u>**

(i) जहॉ तक संभव हो बोलीदाताओं से कोई बातचीत (Negotiation) नहीं किया जावेगा, किन्तु निम्न परिस्थितियों में केवल न्यूनतम या अधिकतम लाभप्रद बोली लगाने वाले से बातचीत की जा सकेगी :–

(क) जब बोली लगाने वालों के द्वारा मिलकर समूह कीमतें (Ring Price) दी गई हो या

(ख) जब प्रस्तुत दर एवं प्रचलित बाजार दरों में भारी अन्तर हो।

(ii) न्यूनतम या सर्वाधिक लाभप्रद बोली लगाने वाले को बातचीत (Negotiation) के लिए बुलाने के लिए न्यूनतम 7 दिवस का समय दिया जावेगा। किन्तु अत्यावश्यकता की स्थिति में मूल्याकंन समिति उक्त समय सीमा को कम कर सकेगी, बशर्ते न्यूनतम या सर्वाधिक लाभप्रद बोली लगाने वाले को सूचना प्राप्त हो गई हो।

26. करार एवं कार्य निष्पादन प्रतिभूति (Agreement and Performance Security) :–

(अ) बोली आमंत्रण में अंकित कार्य हेतु सफल बोलीदाता को बोली स्वीकृति आदेश पत्र की दिनांक से अधिकतम 5 दिन में माल के प्रदाय के लिए प्रस्तावित परिमाण की रकम की तीन प्रतिशत राशि कार्य निष्पादन प्रतिभूति के रूप में जमा करानी होगी एवं नियमानुसार राशि रूपये 5,00 के नॉन–ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर सामान्य एवं वित्तीय लेखा नियम में निर्धारित एस.आर. प्रारूप 17 में एक करार पत्र निष्पादित करना होगा। करार पत्र निर्धारित प्रारूप में नियत अवधि में निष्पादन नहीं करने पर बोली निरस्त योग्य है ।

(ब) सफल बोली लगाने वाले की दशा में, बोली प्रतिभूति की रकम कार्य निष्पादन प्रतिभूति की रकम में समायोजित की जा सकती है या लौटायी जा सकती है यदि सफल बोली लगाने वाला पूर्ण रकम की कार्य निष्पादन प्रतिभूति राशि दे देता है।

(i) कार्य निष्पादन प्रतिभूति राशि पर विभाग द्वारा ब्याज का भुगतान नहीं किया जाऐगा।

(ii) कार्य निष्पादन प्रतिभूति राशि ''महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कारागार, राजस्थान जयपुर'' के नाम से निम्न में से किसी रूप में प्रस्तुत की जा सकेगीः–

(क) '' ई.जी.आर.ए.एस. के माध्यम से जमा ''

(ख) किसी अनुसूचित बैंक का बैंक ड्राफ्ट या बैंकर चैक,

(ग) राष्ट्रीय बचत पत्र और राजस्थान में किसी डाकघर द्वारा अल्प बचत के प्रोन्नयन के लिए राष्ट्रीय बचत स्कीमों के अधीन जारी कोई अन्य स्क्रिप्ट/लिखित, यदि वह सुसंगत निमयों के अधीन बंधक रखी जा सकती हो। बोली के समय वे उनके समर्पण मूल्य पर स्वीकार की जायेंगी और मुख्य डाकपाल के अनुमोदन से औपचारिक रूप से उपापन संस्था के नाम अंतरित की जायेंगी।

(घ) किसी अनुसूचित बैंक की बैंक गारंटी/गारंटियॉ। यह जारी करने वाले बैंक से सत्यापित करायी जायेगी।

(ड.) किसी अनुसूचित बैंक की नियत जमा रसीद (एफडीआर)। यह बोली लगाने वाले के खाते से उपापन संस्था के नाम होगी और बोली लगाने वाले द्वारा अग्रिम रूप से उन्मोचित (कपेबींतहमक) की जायेगी। उपापन संस्था नियत जमा रसीद को स्वीकार करने के पूर्व यह सुनिश्चित करेगी कि बोली लगाने वाला बैंक की ओर से उपापन संस्था को संबंधित बोली लगाने वाले की सहमति की अपेक्षा के बिना, नियत जमा रसीद की मांग पर संदाय/समयपूर्व संदाय करने का वचन देता है। कार्य सम्पादन प्रतिभूति के समपहरण की दशा में नियत जमा एवं ऐसी नियत जमा पर अर्जित ब्याज के साथ समपहत कर ली जायेगी।

(च) खण्ड ख से ड. के प्रारूप में विनिर्दिष्ट कार्य सम्पादन प्रतिभूति वारन्टी बाध्यताओं और रखरखाव और दोष दायित्व कालावधि को सम्मिलित करते हुए बोली लगाने वाले की समस्त संविदांत बाध्यताओं के पूरा होने की तारीख से परे साठ दिनों की कालावधि के लिए विधि मान्य रहेगी।

नोटः– अनुबंध पत्र के साथ एन.एस.सी./पासबुक/डिफेंस बचत पत्र/किसान विकास पत्र आदि Pledge की हुई प्रस्तुत करना आवश्यक है।

(iii) संविदा के सन्तोषजनक रूप से पूर्ण कर दिये जाने के बाद या गारन्टी अवधि (यदि कोई हो तो) की समाप्ति के बाद, जो भी बाद में हो, तथा इससे सन्तुष्ट हो जाने पर कि बोलीदाता के विरूद्व कोई देय बकाया (Outstanding dues) नहीं है, निम्न अवधि में कार्य सम्पादन प्रतिभूति का प्रतिदाय (त्मनिदक) किया जाऐगा।

(क) एक समय पर खरीद के मामले में क्रय आदेश के अनुसार आईटम की अंतिम सप्लाई या गारण्टी की अवधि समाप्ति, जो बाद में हो, से एक माह के भीतर ।

(ख) यदि माल की सप्लाई को सान्तर (Staggered) किया जाता है तो अंतिम सप्लाई या गारण्टी अवधि की समाप्ति, जो बाद में हो, के दो माह के भीतर ।

(iv) कार्य निष्पादन प्रतिभूति राशि का समपहरण (Forfeiture of Work Performance Security Deposit):– सुरक्षा राशि का पूर्ण या आंशिक रूप से निम्नांकित मामलों मे समपहरण (Forfeiture) किया जाऐगाः–

(क) जब संविदा की शर्तो का उल्लधंन किया गया हो।

(ख) जब बोलीदाता सम्पूर्ण सप्लाई सन्तोषजनक ढंग से करने में असफल रहा हो

(ग) जब बोलीदाता सप्लाई आदेश के अनुसार निर्धारित सप्लाई अवधि में माल की सप्लाई आरम्भ करने में असफल रहता हो । सुरक्षा राशि के समपहरण करने के मामलों में युक्तियुक्त समय पूर्व नोटिस दिया जाऐगा। इस संबंध में उपापन संस्था का निर्णय अंतिम होगा।

(v) करार पत्र को पूर्ण करने एवं उस पर स्टाम्प लगाने तथा सुरक्षा राशि को गिरवी करने में हुआ व्यय बोलीदाता द्वारा वहन किया जाऐगा तथा विभाग को करार की एक निष्पादित स्टाम्प शुदा प्रतिपडत (Counter foil) निःशुल्क प्रस्तुत की जाऐगी।

(vi) बोलीदाता द्वारा करार के निष्पादन के समय निम्न दस्तावेज प्रस्तुत किये जाऐगे:–

(अ) यदि भागीदारी फर्म हो तो भागीदारी विलेख (Partnrership Deed) की एक अभिप्रमाणित प्रति ।

(ब) यदि भागीदारी फर्म रजिस्ट्रार ऑफ फर्मस के पास पंजीकृत हो तो पंजीयन संख्या एवं उसका वर्ष ।

(स) एक मात्र स्वामित्व के मामले में आवास तथा कार्यालय का पता,टेलिफोन नम्बर।

(द) कम्पनी के मामले में कम्पनी के रजिस्ट्रार द्वारा जारी किया गया प्रमाण–पत्र

(vii) साझेदारी फर्म/कम्पनी की स्थिति में बोली एवं अनुबन्ध पत्र पर हस्ताक्षर करने हेतु अधिकृत प्रतिनिधि को अधिकृत करने सम्बन्धी अधिकार पत्र फर्म/कम्पनी द्वारा संलग्न किया जाये ।

27. बीमाः–

बोलीदाता द्वारा सामान गंतव्य स्थान पर सही दशा में सुपुर्द किये जाऐगे। यदि सप्लायर चाहे तो मूल्यवान सामान को चोरी, नाश या क्षय द्वारा या आग, बाढ, मौसम में पड़ा रहने के कारण या अन्यथा (युद्व, दंगे, विद्रोह आदि द्वारा) हानि से बचाने के लिए बीमा करा सकेगा। यह बीमा प्रभार निविदादाता द्वारा वहन किया जाऐगा तथा विभाग/राज्य सरकार से इन प्रभारों के भुगतान की अपेक्षा नहीं की जाऐगी ।

28. भुगतानः–

(i) सप्लायर द्वारा सप्लाई किये गऐ माल के संबंध में, सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के अनुसार उचित प्रारूप में बिल तीन प्रतियो में प्रस्तुत करने पर बजट उपलब्धता की स्थिति में भुगतान किया जाऐगा ।

(ii) माल के भुगतान करने पर किये गऐ प्रेषण प्रभार (Remittance Charges) बोलीदाता द्वारा वहन किए जावेगे ।

(iii) विवादस्पद आईटम के संबंध में 10% से 25% तक राशि रोकी जाऐगी तथा विवाद का निपटारा हो जाने पर ही उसका भुगतान किया जा सकेगा ।

(iv) एक विभागीय निरीक्षण समिति बनाई जाएगी, जो कार्य के संतोषप्रद व समयावधि में पूर्ण होने का प्रमाणपत्र देगी, उसके पश्चात ही भुगतान किया जाएगा।

(v) उन मामलों में जिनमें परीक्षण की जरूरत है, भुगतान तभी किया जाऐगा जब विहित परीक्षण कर लिये जाऐगे तथा परीक्षण से प्राप्त परिणाम विहित स्पेशिफिकेशन के अनुरूप होगे ।

(vi) संविदा पत्र में सुपुर्दगी के लिए विनिर्दिष्ट अवधि को संविदा के सार के रूप में समझा जाऐगा तथा सफल बोलीदाता, विभाग से प्रदायगी आदेश जारी होने पर, निर्धारित अवधि के भीतर सप्लाई पूर्ण करेगा।

(vii) परिनिर्धारित क्षति (Liquidated Damages):–

परिनिर्धारित क्षति के साथ सुपुर्दगी अवधि में वृद्वि करने के मामले में वसूली निम्नलिखित प्रतिशत के आधार पर उन स्टोर के मूल्यों के लिए की जाऐगी जिनकी बोलीदाता सप्लाई करने में असफल रहा हैः–

(क) विहित सुपुर्दगी अवधि की एक चौथाई अवधि तक के विलम्ब के लिए –2.5%

(ख) विहित सुपुर्दगी अवधि की एक चौथाई अवधि से अधिक – 5%

किन्तु विहित अवधि की आधी अवधी से अनधिक के लिए

(ग) विहित सुपुर्दगी अवधि की आधी अवधि से अधिक किन्तु – 7.5%

विहित अवधि के तीन चौथाई से अनधिक अवधि के लिए

(घ) विहित सुपुर्दगी अवधि की तीन चौथाई से अधिक के विलम्ब के लिए–10ः

(ड.) विलम्ब की अवधि में आधे दिन से कम के भाग को छोड दिया जायेगा ।

(च) परिनिर्धारित क्षति की अधिकतम राशि 10ः होगी।

(छ) यदि प्रदायकर्ता (सप्लायर) किन्हीं बाधाओं के कारण संविदान्तर्गत माल की सप्लाई को पूरा करने के लिए समय में वृद्धि चाहता है, तो वह लिखित में उस प्राधिकारी को आवेदन करेगा जिसने प्रदायगी आदेश दिया है। किन्तु वह, उसके लिए आवेदन, बाधा के घटित होने पर तुरन्त उसी समय करेगा न कि सप्लाई पूर्ण होने की निर्धारित तारीख के बाद करेगा ।

(ज) यदि माल की सप्लाई करने में उत्पन्न हुई बाधा बोलीदाता के नियन्त्रण से परे कारणो से हुई हो, तो सुपुर्दगी की अवधि में वृद्धि परिनिर्धारित क्षति सहित या रहित की जा सकेगी।

नोट : प्रदायगी अवधि के अन्तिम तिथि को राजपत्रित अवकाश होने पर आगामी कार्य दिवस को मध्यान्ह पूर्व तक प्रदायगी करने पर परिनिर्धारित क्षति की वसूली नही की जावेगी।

29 वसूलियॉः–परिनिर्धारित क्षति, कम सप्लाई, टूट फूट रद्द की गयी वस्तुओ के लिए वसूली साधारण रूप से बिल में से की जाएगी। कम सप्लाई, टूट फूट, रद्द किए गए मालों की सीमा तक राशि को भी रोका जा सकेगा तथा यदि सप्लायर सन्तोषजनक ढंग से उनको नही बदलता है तो परिनिर्धारित क्षति (Liquidated Damages) के साथ वसूली उसकी देय राशि (Dues) एवं विभाग के पास उपलब्ध सुरक्षा राशि से की जायेगी। यदि वसूली करना सम्भव न हो तो राजस्थान पी.डी.आर. एक्ट या प्रवृत किसी अन्य कानून के अन्तर्गत कार्यवाही की जाऐगी।

30. बोली शर्तो के अतिरिक्त कोई शर्ते स्वीकार नही की जावेगी। यदि बोलीदाता ऐसी शर्तें आरोपित करता है, जो बोली शर्तों के अतिरिक्त है या उनके विरोध में है, तो उसकी बोली को संक्षिप्त रूप में कार्यवाही कर रद्द कर दिया जाऐगा। किसी भी स्थिति में बोलीदाता द्वारा दी गई शर्तों को स्वीकार किया हुआ नही समझा जाऐगा जब तक कि विभाग द्वारा जारी किये गये बोली स्वीकृति पत्र में विशेष रूप से उसको उल्लेखित नहीं कर दिया गया हो।

29. विभाग के पास किसी भी बोली को स्वीकार करने, बिना कारण बताये रद्द करने या बोली आमंत्रण में अंकित किसी भी आईटम को एक से अधिक सप्लायर को वितरित करने का अधिकार आरक्षित रहेगा।

30. समस्त विधिक कार्यवाही, यदि संस्थित किया जाना आवश्यक हो तो, किसी भी पक्षकार(सरकार या बोलीदाता) द्वारा जयपुर में स्थित न्यायालयों में ही पेश की जाऐगी, अन्यत्र पेश नहीं की जाऐगी।

31. बोली प्रस्तुत करने के बाद बोली के सम्बन्ध में बोलीदाता/उसके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि जिसके हस्ताक्षर प्रमाणित किये हुये है, द्वारा किये गये पत्र व्यवहार ही स्वीकार्य होंगे।

32. मूल बोली प्रपत्रों के अतिरिक्त जिन दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतिया चाही जा रही है वह स्वयं बोलीदाता या उसके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा प्रमाणित की जानी आवश्यक है अन्यथा उक्त प्रतिलिपि/प्रतिलिपियां मान्य नही होगी।

33. बोली के साथ सभी वांछित दस्तावेज/प्रमाण पत्र बोली जमा कराने की अंतिम तिथि तक वैद्य होने चाहिए।

34. फर्म द्वारा मजबूत एवं पुष्ट आधार प्रस्तुत करने पर ही विभागीय क्रय समिति किसी प्रकरण विशेष में गुणावगुण के आधार पर यदि उचित समझती है या किसी प्रक्रियात्मक त्रुटि के कारण प्रतिस्पर्धा बाधित होती है तो पुनः वांछनीय दस्तावेज एवं वांछित स्पष्टीकरण प्राप्त करने का निर्णय ले सकती है।

35. बोलीदाता को विवर्जित (Black listed) नहीं होने का शपथ पत्र संलग्न करना आवश्यक है।

36. बोली के सम्बन्ध में किसी प्रकार की समस्या हो तो निम्न अधिकारियों से सम्पर्क किया जा सकता है :–

1. महानिरीक्षक कारागार राजस्थान, जयपुर

   दूरभाष नं. 0141–2601047 ई–मेल purchasejhq@gmail.com

2. अधीक्षक, भण्ड़ार, मुख्यालय कारागार राजस्थान, जयपुर।

   दूरभाष नं. 0141–2619202 ई–मेल purchasejhq@gmail.com

महानिरीक्षक कारागार

राजस्थान जयपुर

विवरण (बोलीदाता द्वारा अनिवार्य रूप से भरा जावें)

तकनीकी बोली प्रपत्र

1.	मरम्मत कार्यों का नाम जिनके लिए बोली प्रस्तुत की है।	G-Schedule" संलग्न "
2.	बोलीदाता फर्म का नाम	
	पता	
	दूरभाष संख्या व ई–मेल का पता	
3.	फर्म की पंजीकरण क्रमांक जी.एस.टी. पंजीयन क्रमांक	
4.	वैट / जीएसटी बकाया नहीं होने संबंधी कोई प्रमाण पत्र अथवा शपथ पत्र (संलग्न किया जावे)	
5.	बोली प्रतिभूति राशि का विवरण (ड्राफ्ट / बैंकर्स चैक क्रमांक, बैंक का नाम एवं राशि)	

6.	बोली प्रक्रिया शुल्क का विवरण ड्राफ्ट / बैंकर्स चैक / रसीद संख्या (संलग्न की जावे)	
7.	बोली प्रपत्र शुल्क का विवरण ड्राफ्ट / बैंकर्स चैक / रसीद संख्या (संलग्न की जावे)	

बोलीदाता के हस्ताक्षर

नाम फर्म

पता :–

कार्यालय महानिदेशालय कारागार राजस्थान घाटगेट, जयपुर

(तकनीकी)

घोषणा

(I) निविदा क्रमांक /दिनांक ———————————————————— मरम्मत कार्य करने हेतु निविदा।

(II) बोली प्रस्तुत करने वाली फर्म :–..

का नाम व डाक का पूर्ण पता :–..

दूरभाष एवं फैक्स नम्बर ईमेल सहित :–..

....

(III) बोली जिसे प्रस्तुत करनी है :– महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कारागार राजस्थान, जयपुर।

(IV) सन्दर्भः–बोली आमंत्रण संख्याः– दिनांकः

(V) बोली प्रपत्र शुल्कः– राशि रूपये .... बैंकर चैक/डिमाण्ड ड्राफ्ट संख्या.......................... दिनांक .... द्वारा जमा करा दी गई है ।

(VI) हम सहमत हैं कि विभाग द्वारा निविदा सूचना में अंकित सप्लाई अवधि में समस्त माल की सुपुर्दगी कर दी जाएगी।

(VII) हम सम्पुष्टि करते है कि "प्राईस बिड" में अंकित की गई दरें "प्राईस बिड" खुलने की तिथि से 90 दिन तक विधि मान्य है।

(VIII) हम सम्पुष्टि करते हैं कि "प्राईस बिड" में अंकित दरें विभागीय G-Schedule में अंकित कार्यों/स्पेसिफिकेशन के लिये हैं।

(IX) हमारा जी.एस.टी. में पंजीयन संख्या .... है।

(X) हम सम्पुष्टि करते हैं कि प्राईस बिड स्वीकार होने की सूचना से निर्धारित अवधि में निर्धारित प्रारूप में विभाग से करार निष्पादन करेगें, जिसके अभाव में बोली निरस्त योग्य है।

(XI) हम सम्पुष्टि करते हैं कि आवश्यक दस्तावेज के अभाव में बोली निरस्त करने योग्य है। हमारे द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त दस्तावेज हिन्दी अथवा अंग्रेजी भाषा में है।

(XII) हम सम्पुष्टि करते हैं कि प्राईस बिड हमारे द्वारा बोली में निर्धारित तरीके से प्रस्तुत की गई है।

2. **बोली भरने की प्रकिया :–**

(ए) G-Schedule/प्राईस बिड में दरें बोली में निर्धारित प्रारूप में भरी जावे। तकनीक–क्वालीफाईंग बोली में योग्य (क्वालीफाईड़) बोलीदाताओं की ही प्राईस बिड खोली जावेगी।

बोलीदाता के हस्ताक्षर

मय मोहर

वित्तीय वर्ष 2020–21 में विभाग में मरम्मत कार्य जो करवाये जाने हैं:–

क्र. स.	कार्यालय का नाम	प्रस्तावित कार्य का विवरण	अनुमानित राशि(राशि लाखों में)
1	मुख्यालय कारागार, राजस्थान जयपुर	लेखाधिकारी हेतु शौचालय निर्माण हेतु।	1.03
		अधीक्षक/उपाधीक्षक के कक्ष में विभिन्न मरम्मत कार्य हेतु	2.00
		सामान्य शाखा में हॉल की छत की मरम्मत कार्य एवं कर्मचारियों हेतु शौचालय/स्नानघर में सेनेटरी विभिन्न मरम्मत कार्य हेतु	2.00
		कुल योगः–	5.03

2.1.2021

(बद्रीलाल मीणा)
अधीक्षक
महानिदेशालय कारागार
राजस्थान,जयपुर

OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL OF JAIL, GHAT GATE, JAIPUR

Name of work - Toilet & Office Renovation Work at Ghat Gate , Jaipur

G-Schedule

S. NO	BSR REF	DESCRIPTION	QTY	UNIT	RATE	AMOUNT
1	14.26	Dismantling brick tiles covering in terracing including stacking of serviceable material and disposal of unserviceable material within 50 meters lead.	250.00	Sqm	31.00	7750
2	14.9	Demolishing stone rubble masonry manually/ by mechanical means including stacking of serviceable material and disposal of unserviceable material within 50 metres lead as per direction of Engineer-in-charge: 14.9.2 In cement mortar.	35.00	Cum	583.00	20405
3	1.3	Banking excavated earth in layers not exceeding 20cm. in depth breaking clods watering, rolling each layer with 1/2 tonne roller, or stone or steel rammers, and rolling every 3rd and top- most layer with power roller of 8-10 tonne capacity and dressing up in embankments for roads, flood banks marginal banks, and guide banks etc. lead up to 50 Mtr. and lift up to 1.5 Mtr. All kinds of soils	40.00	Cum	155.00	6200
4	7.5	Providing and fixing Granite stone slab mirror polished and machine edge cut in walls, pillars, steps, Shelves, Sills Counters, Floors etc. laid on 12mm (Av.) thick base of cement mortar 1:3 (1 cement : 3 coarse sand) jointing with white cement mortar 1:2 (1white cement : 2 marble dust) with pigment to match the shade of the marble slab including grinding, rubbing and polishing complete (Red/Choclate/Black/Pink Colour)	8.00	Sqm.	1,812.00	14496
5	7.8.1.1	Full Edge moulding	10.00	Mtr.	133.00	1330
6	7.1	Providing and fixing Marble stone flooring table rubbed, 15-18 mm thick over 20mm (Av.) thick base of CM 1:4 (1 cement : 4 coarse sand) jointing with white cement mortar 1:2 (1 white cement : 2 marble dust) with pigment to match the shade of the marble slab including grinding, rubbing and polishing complete. OR Providing and fixing stone slabs table rubbed, 15-18 mm thick in Walls, Steps, Pillars, Counters, Jambs, Shelves, Sills etc. laid on 12mm (Av.) thick base of CM 1:3 (1 cement : 3 coarse sand) jointing with white	16.00	Sqm.	1,522.00	24352

7	7.14	Providing and fixing 1st quality standard white, grey, ivory, fume red brown, light green, light blue and other light shades glazed tiles confirming to IS : 13753 & IS :15622 of size 200mm x 300mm in walls, floors, steps, pillars etc. laid on a bed of neat cement slurry finished with flush pointing in the white cement mixed with pigment to match the shade of the tile complete (excluding the cost of cement plaster on walls and pillar).	100.00	Sqm.	613.00	61300
8	8.4	Providing and fixing fully panelled/partly panelled/ double leaf shutter frame for doors as per approved design and drawings with approved ordinary C.P./ oxidised steel fittings as per Annexure - 'A' and width of styles & top rails of 100mm and lock rails width of 150mm and bottom rails of 200mm width including teak wood beading of size 19mm x 12mm on both faces complete : 8.4.1.4 Ivory coast wood grade I	2.00	Sqm.	3,041.00	6082
9	5.7	Half brick masonry in foundation & plinth using bricks of designation 75 5.7.2 Cement mortar 1 : 4 (1 cement : 4 coarse sand)	42.00	Sqm.	452.00	18984
10	10.21	Providing and laying integral cement based water proofing treatment including preparation of surface as required for treatment of roofs, balconies, terraces etc consisting of following operations. (a) Applying and grouting a slurry coat of neat cement using 2.75 kg/sqm. of cement admixed with proprietary water proofing compound conforming to IS. 2645 over the RCC slab including cleaning the surface before treatment.	30.00	Sqm.	430.00	12900
11	10.27	Providing and fixing 12.5 mm thick tapered edge gypsum board conforming to IS 2095- Part I at all height false ceiling including	4.00	Sqm.	750.00	3000
12	10.28	Providing and fixing 14 mm thick Acoustical with fine fissured tiles/ Mineral fibre high density tiles with butt edges false ceiling tiles of	25.00	Sqm.	750.00	18750
13	11.3	Cement concrete flooring 1:2:4 (1 cement : 2 coarse sand : 4 graded stone aggregate) finished with a floating coat of neat cement including cement slurry, making of lines or groove etc complete but excluding the cost of nosing of steps etc. complete. 11.3.2 75mm thick with 20mm thick nominal size	20.00	Sqm.	416.00	8320
14	12.3	Plaster on new surface on walls in cement sand mortar 1:6 including racking of joint etc. complete fine finish : 12.3.1 25 mm thick	82.00	Sqm	176.00	14432
15	12.23	Providing and applying plaster of paris putty of 2 mm thickness over plastered surface to prepare the surface even and smooth complete	200.00	Sqm	63.00	12600

16	12.38	Distempering with 1st quality acrylic washable distemper (ready mixed) of approved manufacturer and of required shade and colour completeincluding all scaffolding as per manufacturer's specification. Two or more coats on new work including prepartion of base with primer, putty, lippy etc complete in all respect.	1,100.00	Sqm	39.00	42900
17	12.46	Painting with synthetic enamel paint of approved brand and manufacture to give an even shade : Two or more coats on new work	200.00	Sqm	63.00	12600
18	16.5	Providing and fixing glazing in aluminium door, window ,ventilator shutters and partitions etc. with PVS / neoprene gasket etc. complete as per the architectural drawings and the directions of engineer-in-charge.(Cost of aluminium snap beading shall be paid in basic item.)16.5.1 With glass panes of 4.0 mm thickness (weight not less than 10.0 kg/sqm) as per IS : 3835	9.00	Sqm	719.00	6471
19	1.13	P & F White Vitreous China Double Syphonic European W.C. (I.S:2556Mark) with mounted W.V.C. flushing cistern of (IS : 2556 Mark) of 10 litre capacity complete with all necessary internal fittings including cutting and making good the wall and floor	3.00	Each	11,013.00	33039
20	1.14	P & F lst quality WVC Urinal (IS:2556 mark) with 25mm dia G.I. waste pipe, dome waste couplings, concealed iron brackets or screws etc complete. 1.14.2 Flat Back (large) or half stall size 610x400x80mm.	3.00	Each	4,215.00	12645
21	1.36	P & F WVC Wash basin (lst quality IS:2556 Mark) of approved make with C.I. brackets duly painted 1 No. 15 mm C.P. Pillar cock (IS:8934 Mark) & 32 mm C.P. brass waste coupling of approved make, P.V.C Waste pipe with PVC nut 32 mm complete including cutting & making good the wall ; 1.36.5 Size 610 mm x 510 mm	3.00	Each	3,161.00	9483
22	1.43	P& F waste Pipe with all fitting 1.43.1 P.V.C with C.P nut 32 mm	3.00	Each	132.00	396
23	1.45	P & F Looking Mirrors with P.V.C. frame of approved make as per direction of Engineer-in-charge 1.45.3 Round 500mm dia	4.00	Each	499.00	1996
24	1.47	P & F Towel Rail or Ring of approved quality/make:1.47.1 C.P. brass Towel Rail elbow type with concealed screws size 450mm (Heavy duty).	4.00	Each	425.00	1700
25	1.49	P & F Liquid Soap Container with brackets complete of approved make: 1.49.1 C.P. brass	6.00	Each	216.00	1296
26	1.51	P & F Toilet Paper Holder with rod of approved quality/make: 1.51.2 C.P. brass heavy & Superior quality.	5.00	Each	547.00	2735
27	1.52	P & F Soap Dish or Tray of approved quality/make 1.52.6 (-do-) Soap Dish 380mm.	6.00	Each	297.00	1782
28	1.59	P & F Jet spray for water closet with C.P. Copper Tube flange of approved make.	3.00	Each	346.00	1038
29	2.8	P & F Stop Cock (IS :8931 Mark), superior quality & of approved make: 2.8.5 (-do-) Concealed Stop Cock 15mm.	9.00	Each	917.00	8253

30	2.26	P & F PVC Storage Tank ISI Marked (IS : 12701) indicating the BIS license No), of approved make with cover, 25mm dia 1M long G.I. over-flow pipe & 25 Cm. long wash out pipe with plug & socket, including making connection etc., complete of approved design: 2.26.3 500 (-do-)	1.00	Each	3,564.00	3564
31	3.16.1	63 mm dia	50.00	Mtr	134.00	6700
32	3.16.2	75 mm dia	55.00	Mtr	161.00	8855
33	3.16.3	110 mm dia	35.00	Mtr	256.00	8960
34	3.45.25	Nahni Trap with Jali 4" 110mm dia	2.00	Each	155.00	310
35	NON STANDERD	Electrical work all extranal & intrnal piping lighting fan	1.00	Each	30,000.00	30000
				TOTAL =		425624
	GST 18%					76612
	SUB TOTAL					502236

महानिरीक्षक कारागार

राजस्थान, जयपुर

I/we herely agree to execute the work @ ....% Above /Below of G Sehdule as per quated Rates .

Singnature of Contractor

फर्म के हस्ताक्षर/मोहर

अनुलग्नक 'अ'

Annexure A: Compliance with the Code of Integrity and No Confict of Interest

Any person participating in a procurement process shall –

(a) Not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process;
(b) Not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation;
(c) Not indulge in any collusion, Bid rigging or anti-competitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;
(d) Not misuse any information shared between the procuring Entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;
(e) Not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process;
(f) not obstruct any investigation or audit of a procurement process;
(g) disclose conflict of interest, if any and
(h) disclose any previous transgressions with any Entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

Conflict of Interest:-

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of interest.

A conflict of Interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

(i) A Bidder may be considered to be in Conflict of Interest with one or more parties in a bidding process if, including but not limited to :
   a. Have controlling partners/ shareholders in common; or
   b. Receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or
   c. Have the same legal representative for purposes of the Bid ;or
   d. Have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the Bid of another Bidder, or influence the decisions of the Procuring Entity regarding the bidding process; or
   e. The Bidder participates in more than one Bid in a bidding process. Participation by a Bidder in more than one Bid will result in the disqualification of all Bids in which the Bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a Bidder, in more than one Bid; or
   f. The Bidder or any or its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the Goods, Works or Services that are the subject of the Bid; or
   g. Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired) by the Procuring Entity as engineer-in-charge/ consultant for the contract.

Date :

Place :

Signature of bidder

Name :

Designation :

Address :

Annexure B : Declaration by the Bidder regarding Qualifications

Declaration by the Bidder

In relation to my/our Bid submitted to .... for procurement of .... in response to their Notice Inviting Bids No.............. Dated .... I/we hereby declare under Section 7 of Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012, that :

1. I/we possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity;
2. I/we have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the State Government or any local authority as specified in the Bidding Document;
3. I/we are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons;
4. I/we do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statement or misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings ;
5. I/we do not have a conflict of interest as specified in the Act, Rules and the Bidding Document, which materially affects fair competition;

Date :

Place :

Signature of bidder

Name :

Designation :

Address :

Annexure C : Grievance Redressal during Procurement Process अनुलग्नक 'स'

The designation and address of the First Appellate Authority is DG & IG Prisons, Rajasthan, Jaipur

The designation and address of the Second Appellate Authority is Principle Secretary, Home Department, Secretariate Rajasthan, Jaipur

(1) Filling an appeal

If any Bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the Procuring Entity is in contravention to the provisions of the Act or the Rules or the Guidelines issued thereunder, he may file an appeal to First Appellate Authority, as specified in the Bidding Document within a period of ten days from the date of such decision or action, omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved :

Provided that after the declaration of a Bidder as successful the appeal may be filed only by a Bidder who has participated in procurement proceedings.

Provided further that in case a Procuring Entity evaluates the Technical Bids before the opening of the Financial Bids, an appeal related to the matter of Financial Bids may be filed only by a Bidder whose Technical Bid is found to be acceptable.

(2) The officer to whom an appeal is filed under para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall endeavour to dispose it of within thirty days from the date of the appeal.

(3) If the officer designated under para (1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in para (2), or if the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity is aggrieved by the order passed by the First Appellate Authority, the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity, as the case may be, may file a second appeal to Second Appellate Authority specified in the Bidding Document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in para (2) or of the date of receipt of the order passed by the First Appellate Authority, as the case may be.

(4) Appeal not to lie in certain cases

No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following matters, namely :-

(a) Determination of need of procurement.
(b) Provisions limiting participation of Bidders in the Bid process.
(c) The decision of whether or not to enter into negotiations.
(d) Cancellation of a procurement process.
(e) Applicability of the provisions of confidentiality.

(5) Form of Appeal

(a) An appeal under para (1) or (3) above shall be in the annexed Form along with as many copies as there are respondents in the appeal.
(b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.
(c) Every appeal may be presented to First Appellate Authority or Second appellate Authority, as the case may be, in person or through registered post or authorised representative.

(6) Fee for filing appeal

(a) Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second appeal shall be rupees ten thousand, which shall be non-refundable.
(b) The fee shall be paid in the form of bank demand draft or banker's cheque of a Scheduled Bank in India payable in the name of Appellate Authority concerned.

(7) Procedure for disposal of appeal

(a) The First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, upon filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing.

(b) On the date fixed for hearing, the First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, shall –

(i)hear all the parties to appeal present before him: and

(ii) peruse of inspect documents, relevant records or copies thereof relating to the matter.

(c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter, the Appellate Authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.

(d) The order passed under sub-clause (c) above shall also be placed on the State Public Procurement Portal.

Date :

Place :

Signature of bidder

Name :

Designation :

Address :

Form No.1
(See rule 83)

Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012

Appeal No……...........…..of…………..
Before the …………………………………..(First/ Second Appellate Authority)

1. Particulars of appellant :
   (i) Name of the appellant :
   (ii)Official address, if any :
   (iii) Residential address :

2. Name and address of the respondent (s):
   (i)
   (ii)
   (iii)

3. Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer/ authority who passed the order (enclose copy), or a statement of a decision, action or omission of the Procuring Entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved :

4. If the Appellant proposes to be represented by a representative, the name and postal address of the representative :

5. Number of affidavits and documents enclosed with the appeal :

6. Grounds of appeal :………………………………………………………........
   ………………………………………………………………………………………………
   ………………………………………………………………………………………………
   ……………............ (Supported by an affidavit)

7. Prayer :…………………………………………………………….......................
   ………………………………………………………………………………………
   ………………………………………………………………………………………
   ………………………………………………………………………………………
   ………………………………………

Place ……………………….
Date ………………………..

Appellant's Signature

Annexure D : Additional Conditions of Contract

1. Correction of arithmetical errors

Provided that a Financial Bid is substantially responsive, the procuring Entity will correct arithmetical errors during evaluation of Financial Bids on the following basis:

i. If there is a discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion of the Procuring Entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case the total price as quoted shall govern and the unit price shall be corrected;

ii. If there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and the total shall be corrected; and

iii. If there is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures shall prevail subject to (i) and (ii) above.

If the Bidder that submitted the lowest evaluated Bid does not accept the correction of errors, its Bid shall be disqualified and its Bid Security shall be forfeited or its Bid Securing Declaration shall be executed.

2. Procuring Entity's Right to Vary Quantities

(i) At the time of award of contract, the quantity of Goods, works or services originally specified in the Bidding Document may be increased or decreased by a specified percentage, but such increase or decrease shall not exceed twenty percent, of the quantity specified in the Bidding Document. It shall be without any change in the unit prices or other terms and conditions of the Bid and the conditions of contract.

(ii) If the Procuring Entity does not procure any subject matter of procurement or

procures less than the quantity specified in the Bidding Document due to change in circumstances, the Bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the Conditions of Contract.

(iii) In case of procurement of Goods or services, additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rates and conditions of the original order. However, the additional quantity shall not be more than 50% of the value of Goods of the original contract and shall be within one month from the date of expiry of last supply. If the Supplier fails to do so, the Procuring Entity shall be free to arrange for the balance supply by limited Bidding or otherwise and the extra cost incurred shall be recovered from the Supplier.

3. Dividing quantities among more than one Bidder at the time of award (In case of procurement of Goods)

As a general rules all the quantities of the subject matter of procurement shall be procured from the Bidder, whose Bid is accepted. However, when it is considered that the quantity of the subject matter of procurement to be procured is very large and it may not be in the capacity of the Bidder, whose Bid is accepted, to deliver the entire quantity or when it is considered that the subject matter of procurement to be procured is of critical and vital nature, in such cases, the quantity may be divided between the Bidder, whose Bid is accepted and the second lowest Bidder or even more Bidders in that order, in a fair, transparent and equitable manner at the rates of the Bidder, whose Bid is accepted.

Signature of bidder

प्रारूप ख

शपथ पत्र का रूप विधान

(खण्ड़ 11 देखिए)

मैं.. पुत्र .... आयु .... वर्ष.................का निवासी, मैसर्स ....
का स्वत्वधारी/भागीदार/निदेशक, इसके द्वारा सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ और घोषणा करता हूँ कि:–

(क) मेरे/हमारे उपरोक्त उल्लिखित उधम मैसर्स .... को जिला उधोग केन्द्र .... द्वारा उधम संबंधी ज्ञापन भाग–II की अभिस्वीकृति जारी की गयी है। अभिस्वीकृति सं............................. दिनांक .... निम्नलिखित वस्तुओं का विनिर्माण करने के लिए जारी की गयी है:–

वस्तु का नाम	उत्पादन क्षमता (वार्षिक)
(i)	
(ii)	
(iii)	
(iv)	
(v)	

(ख) मेरी/हमारी उपरोक्त उल्लिखित उधम संबंधी ज्ञापन भाग–II की अभिस्वीकृति उधोग विभाग द्वारा रद्द या प्रत्याहृत नहीं की गयी है तथा यह कि उधम उपरोक्त वस्तुओं का नियमित रूप से विनिर्माण कर रहा है।

(ग) मेरे/हमारे उधम के पास समस्त अपेक्षित संयत्र और मशीनरी है और उपरोक्त उल्लिखित वस्तुओं का विनिर्माण करने के लिए पूर्ण रूप से सुसज्जित है।

स्थान:–

हस्ताक्षर
स्वत्वधारी/निदेशक प्राधिकृत
हस्ताक्षरी
मय रबर स्टाम्प एवं दिनांक

Form of Bid-Securing Declaration

Date :
Bid No. :
Alternative No. :

To :

We, the undersigned, declare that:

We understand that, according to your conditions, bids must be supported by a Bid-Securing Declaration.

We accept that we are required to pay the bid security amount specified in the Term and Condition of Bid, in the following cases, namely :-

(a) when we withdraw or modify our bid after opening of bids;
(b) when we do not execute the agreement, if any, after placement of supply/work order within the specified period;
(c) when we fail to commence the supply of the goods or service or execute work as per supply/work order within the time specified;
(d) when we do not deposit the performance security within specified period after the supply/work order is placed;and
(e) if we breach any provision of code of integrity prescribed for bidding specified in the Act and Chapter VI of these rules.

In addition to above, the State Government shall debar us from participating in any procurement process undertaken for a period not exceeding three years in case where the entire bid security or any part thereof is required to be forfeited by procuring entity.

We understand this Bid Securing Declaration shall expire if :-

(i) we are not the successful Bidder;
(ii) the execution of agreement for procurement and performance security is furnished by us in case we are successful bidder;
(iii) thirty days after the expiration of our Bid.
(iv) the cancellation of the procurement process; or
(v) the withdrawal of bid prior to the deadline for presenting bids, unless the bidding documents stipulate that no such withdrawal is permitted.

Signed :---

Name :--

In the capacity of :----------------------------

Duly authorized to sign the bid for and on behalf of :

Dated on day of
Corporate Seal --

[Note: In case of a Joint Venture, the Bid Securing Declaration must be signed in name of all partners of the Joint Venture that is submitting the bid.]